न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 108/2014/225 आरटीए

शेरसिंह पुत्र कालू जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. पुरूषोतम पुत्र कालू जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. छोटू पुत्र कालू जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. भीमसिंह उर्फ भीवराज जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उपपंजीयन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.11.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा

प्र0सं0 04/2014 अनवानी पुरूषोतम आदि बनाम शेरसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांक –15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया कि प्रार्थीगण के पिता कालू की चक 9 एमएसआई तहसील भादरा के खाता सं. 56/8 मे 12.650 है0 कृषि भूमि है। प्रार्थीगण ने पिता कालू ने इसी भूमि की आय से अपने दो पुत्र शेरसिंह व मोहरसिंह जब नाबालिग थे जब शेरसिंह के नाम 14 बीघा व मोहरसिंह के नाम 17 बीघा खरीद की थी। उक्त 12.650 बीघा भूमि की भूमि की वसीयत कालू ने प्रार्थीगण के पक्ष मे निष्पादित कर दी कालू की मृत्यु के उपरांत वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण खातेदार हुये। परन्तु अप्रार्थी ने उक्त वसीयत को छुपाते हुए कालू की मृत्यु के बाद विरासतन कालू के समस्त वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया। जो गलत है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध

अस्थाई इस आशय की जारी की जावे कि वे वादभूमि को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे हस्तक्षेप नही करें तथा अप्रार्थी सं. 2 को भी पाबंन्द किया जावे कि वह वादभूमि से संबंधित कोई दस्तावेज तस्दीक रजिस्ट्रार एवं पंजीबद्ध नही करें। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने के कारण खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का काई विश्लेषण नही किया है। विचारण न्यायालय ने कतई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दू साबित मानकर ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे कानून भूल की है। प्रार्थीगण रेस्पोडेंटस के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता था तथा ना ही कोई क्षति हो रही थी। अप्रार्थी अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था तथा सहकाश्तकार था। फिर भी विचारण न्यायालय ने कानून खिलाफ अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि चक 9 एमएसआई तहसील भादरा के खाता सं. 56/8 मे 12.650 है0 कृषि भूमि है। प्रार्थीगण ने पिता कालू ने इसी भूमि की आय से अपने दो पुत्र शेरसिंह व मोहरसिंह जब नाबालिग थे जब शेरसिंह के नाम 14 बीघा व मोहरसिंह के नाम 17 बीघा खरीद की थी। उक्त 12.650 बीघा भूमि की भूमि की वसीयत कालू ने प्रार्थीगण के पक्ष मे निष्पादित कर दी कालू की मृत्यु के उपरांत वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण खातेदार हुये। परन्तु अप्रार्थी ने उक्त वसीयत को

छुपाते हुए कालू की मृत्यु के बाद विरासतन कालू के समस्त वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया। जो गलत है। इसी के आधार पर रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2009 पेज 17, आरआरटी 2017 (1) पेज 491 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर 8/9 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के पिता कालूराम द्वारा रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के पक्ष मे एक रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित करवाई थी। जिसमे कालू राम द्वारा अंकित करवाया गया है कि चक 9 एमएसआर तहसील भादरा की 50 बीघा भूमि को बहिस्सा बराबर तीनो लड़को पुरूषोतम, छोटू व भिवराज के नाम इच्छा पत्ररित (वसीयत) करता हूं जो मेरी मृत्यु के पश्चात तुरन्त कार्यान्वित होगा। मेरे दो लड़के और है जिनके नाम शेरसिंह, मोहरसिंह है जिनके नाम इस भूमि से अलग भूमि खरीद कर उनके नाम करा रखी है जो चक 9 एमएसआर की 14 बीघा शेरसिंह के नाम व चक 9 एमएसआर मे 17 बीघा मोहरसिंह के नाम से खरीद कर दी हुई है। इस प्रकार कालूराम ने अपने जीवनकाल मे अपने सभी पुत्रो को अलग अलग कृषि भूमि बांटकर/खरीद कर दे दी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय यह उल्लेखित किया कि ''यदि अप्रार्थी, प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण कर देते है

तो सायलान को भारी असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण के हको पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है। ऐसी स्थिति अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जानी न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2014 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़